बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

मनरेगा के अंतर्गत जन शिकायतों के प्रभावी निष्पादन के लिए जिला स्तरीय लोकपाल की व्यवस्था का प्रावधान है । विस्तृत दिशा निदेश यथा दायित्व एवं कर्तव्य विभागीय बेवसाईट (www.nrega.nic.in) पर उपलब्ध है ।

महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा-27(1) के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु राज्य के सभी जिलों में लोकपाल (Ombudsman) की नियुक्ति के लिए पैनल तैयार करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों से ग्रामीण विकस विभाग के वेबसाईट rdd.bih.nic.in पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। Online आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि दिनांक- 28.02.2019 को संध्या बजे 06:00 बजे तक होगी ।

नियुक्ति की शर्ते-

1. लोकपाल (Ombudsman) का चयन दो वर्षो के लिए होगी । उनके द्वारा संपादित कार्यो के समीक्षोपरांत उन्हें अधिकतम 2 बार एक वर्ष का अवधि विस्तार किया जा सकेगा ।
2. लोकपाल (Ombudsman) के लिए प्रत्येक बैठक हेतु 1000/- रूपया मानदेय के रूप में अधिकतम सीमा 20000/- रूपये प्रतिमाह देय होगा । जॉच कार्य हेतु क्षेत्रीय भ्रमण की सुविधा देय होगी। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार के अन्य भत्ते देय नहीं होंगे ।
3. लोकपाल (Ombudsman) कार्यालय जिला स्तरीय मुख्यालय में होगा ।
4. आवेदक किसी भी राजनैतिक दल से संबंधित नहीं हों ।

योग्यता:- अचूक सत्यनिष्ठा एवं उत्कृष्ट ख्याति प्राप्त व्यक्ति जों मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो तथा लोक प्रशासन यथा अपर समाहर्त्ता एवं उच्च स्तर के सेवानिवृत पदाधिकारी, विधि यथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश या उच्च स्तर के सेवानिवृत विधि पदाधिकारी, अभियंत्रण सेवा यथा अधीक्षण अभियंता या उच्च स्तर के सेवानिवृत अभियंता, सामाजिक कार्यो में संबद्ध व्यक्ति जो 20 वर्षो से अन्यून ख्याति प्राप्त NGO के कार्य अनुभव रखते हो ।

उम्र सीमा:- अधिकतम 66 वर्ष- (दिनांक- 1.04.2019 के आधार पर)

संयुक्त सचिव
ग्रामीण विकास विभाग

A.K लोकपाल-2 - Copy